

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर सागर जिले में ए.डीबी.-6 योजना के अन्तर्गत एस.एच.-21 सागर-रहली मार्ग उन्नयन/चौड़ीकरण हेतु 6.080 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, सागर को उपयोग पर देने देने अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

दिनांक: 21.04.2022

स्थान: भोपाल

21/4/22
(अशोक कुमार)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)